खण्ड–1

प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका

विद्युत क्षेत्र में नियमन की परिकल्पना इस क्षेत्र के सुधार के साथ जुड़ी हुई है। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना देश में सर्वप्रथम उड़ीसा में 1995 में एक विशेष अधिनियम के अधीन हुई थी। उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 पारित किया गया जिसमें केन्द्र में एवं सभी राज्यों में नियामक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। वर्तमान में देश में विद्युत नियामक आयोग केन्द्र एवं सभी राज्यों में, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन कार्यरत है। नियामक आयोग की भूमिका मुख्य रूप में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत मंडल एवं इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य इकाईयों का संचालन वाणिज्यिक सिद्धातों पर आधारित हो और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिले। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में कार्य क्षमता में वृद्धि के लिये, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये, एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिये विद्युत अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति के अनुसरण में कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र में राज्य में निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा देना भी नियामक आयोग का एक कर्तव्य है। कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र में सुधार लाना, उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आयोग पर है।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन किया गया है। आयोग का गठन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। गठन के पश्चात राज्य शासन ने आदेश क्रमाँक F-1/38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के पद पर श्री एस. के. मिश्र तथा सदस्य के पद पर श्री शरत चंद्र की नियुक्ति की। आयोग में नियुक्ति के पूर्व श्री एस.के. मिश्र, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के पद पर सेवारत थे तथा श्री शरत चंद्र छ.रा.वि.मं. में सचिव तथा सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर लगभग सवा दो साल सेवाएँ देकर सेवानिवृत्त हुए थे। अध्यक्ष एवं सदस्य ने दिनाँक 01 जुलाई, 2004 को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् आयोग में अपना पद भार संभाला एवं आदिनाँक कार्यरत हैं। श्री एस. के मिश्र (अध्यक्ष) तथा श्री शरत चंद्र (सदस्य) का संक्षिप्त वृत्तांत निम्नानुसार हैः–

श्री एस.के. मिश्र (अध्यक्ष)

श्री एस. के. मिश्र आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। आप 1968 बैच के म.प्र. कैडर के भा.प्र.से. अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्यप्रदेश से नवगठित राज्य में स्थानांतरित होकर श्री मिश्र छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रमुख सचिव (वित्त) के पद पर नियुक्त हुए। श्री मिश्र जनवरी 2001 से जनवरी 2003 तक अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। एवं फरवरी 2003 से जून 2004 तक राज्य के मुख्य सचिव थे। मध्यप्रदेश में अपने कार्यकाल में आपने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। श्री मिश्र ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तथा मंत्रीमंडलीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य किया। श्री मिश्र, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के वरिष्ठ पद पर भी रहे। आप छ.रा.वि.मं. के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। आपको इंग्लैड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा क्वीन एलीजबेथ अधिसदस्यता प्रदान की गई है।

श्री शरत चंद्र (सदस्य)

श्री शरत चंद्र ने बिहार तकनीकी संस्थान, सिंदरी से विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री शरत चंद्र ने म.प्र. विद्युत मंडल में अक्टूबर 1965 से दिसंबर 2000 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया तथा सहायक अभियंता के पद से पदोन्नत होते–होते कार्यपालन निदेशक के पद तक पहुँचे। 15.11.2000 से छ.रा.वि.मं. के गठन के उपरांत छ.ग.राज्य शासन ने आपको छ.रा.वि.मं. का प्रथम सचिव नियुक्त किया। बाद में श्री शरत चंद्र छ.रा.वि.मं. के सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर नियुक्त हुए तथा उसी पद से सेवानिवृत्त हुए।

1.3 आयोग का कार्य स्थल

आयोग का कार्यालय वर्तमान में रायपुर के प्रमुख मार्ग जी.ई.रोड़ स्थित किराये के भवन में है। आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने का निवेदन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–4–146/सात–1/06 दिनाँक 13–11–06 के द्वारा आयोग को रायपुर खास प.ह.नं. 106 अ स्थित भूमि खसरा नं. 527 में से 60X40=2400 वर्गमीटर भूमि कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है। आयोग द्वारा भूमि पर आधिपत्य ले लिया गया है। आयोग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है भवन की अनुमानित लागत लगभग रूपये दो करोड़ होगी । आयोग द्वारा भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। भूमि के विकास, समतलीकरण, भवन निर्माण की पूर्व तैयारी आदि की प्रक्रिया जारी है ।

————00000————

खण्ड–2

मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। गत वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित आयोग में कार्यरत अधिकारियों की संख्या इस वर्ष भी दिनॉक 31–12–2006 तक की स्थिति तक पूर्ववत् ही रही । आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

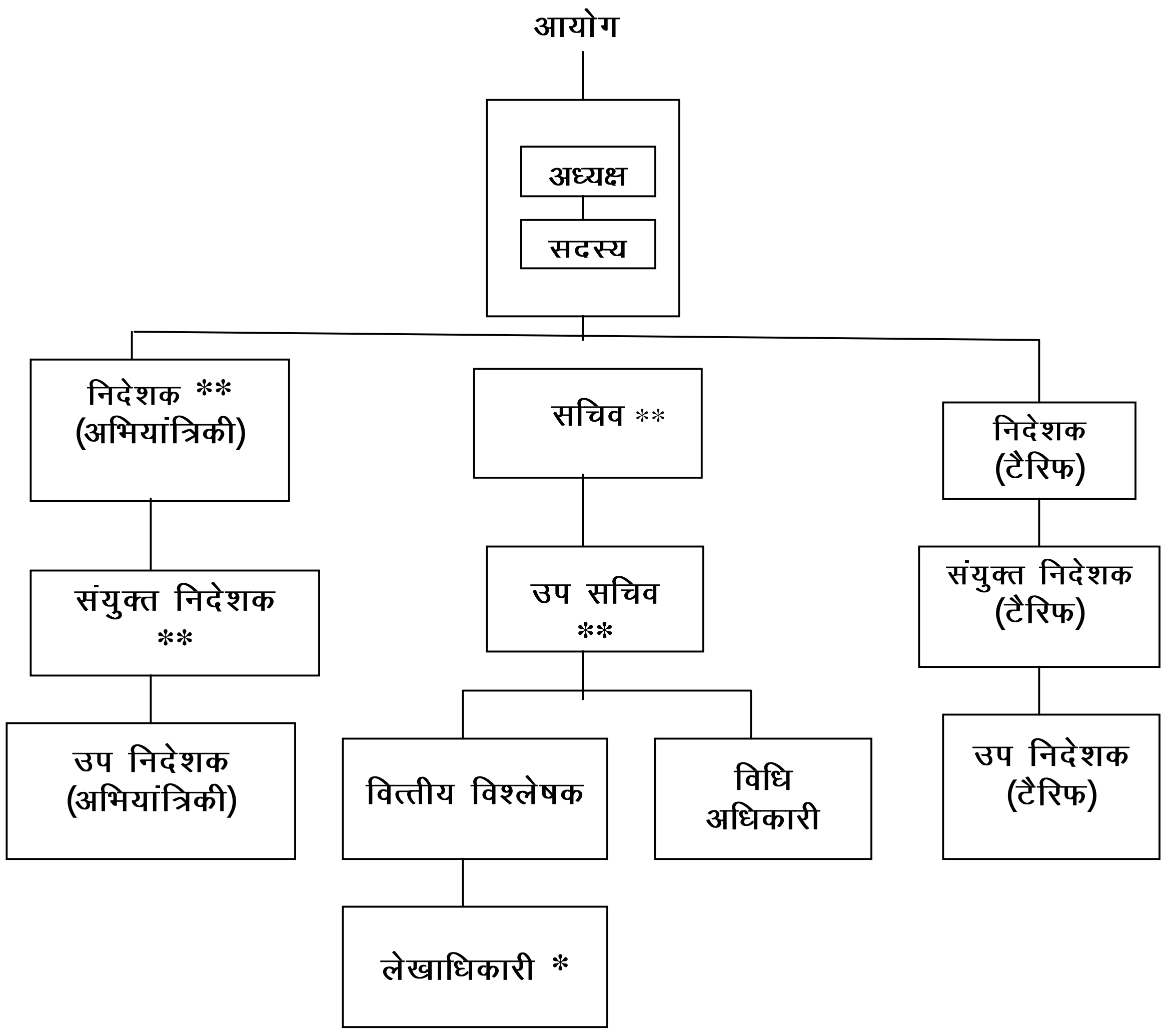

* 31.12.2006 तक की स्थिति में पद रिक्त ।

** 31.12.2006 की स्थिति में सचिव व संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन क्रमशः निदेशक (अभियांत्रिकी) व उप सचिव द्वारा किया जा रहा है ।

2.2 आयोग में वर्ष 2006 में सेवारत अधिकारी

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2006 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनाँक
1.	श्री डी.के. दीवान	निदेशक (टैरिफ)	04.10.2004
2.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (अभियांत्रिकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
3.	श्री अजय श्रीवास्तव	उप सचिव (संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) का अतिरिक्त प्रभार दिनाँक 10–10–2005 से)	06.08.2004
4.	श्री मुकेश नाहर	संयुक्त निदेशक	28.09.2004
5.	श्री अजय जैन	वित्तीय विश्लेषक	30.09.2004
6.	श्री एस.पी. शुक्ला	उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	21.10.2004
7.	श्री हरेश सतपथी	उप निदेशक (टैरिफ)	30.12.2004
8.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
9.	श्री आनंद मिश्रा	कनिष्ठ लेखाधिकारी	20.09.2005

1. **श्री डी.के. दीवान, निदेशक (टैरिफ)** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में 04 साल संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य का अनुभव ।

2. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (अभियांत्रिकी)** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (आनर्स) (मेकेनिकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। 10 अक्टूबर 2005 से आयोग के सचिव का कार्यभार का भी निर्वहन कर रहे है ।

3. **श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता तथा उप सचिव के पद से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सचिव का पद रिक्त होने के कारण उप सचिव को दिनाँक 09.10.05 तक सचिव का समस्त दायित्व सौंपा गया था। 10.10.2005 से संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) के कार्यभार का भी निर्वहन कर रहे हैं ।

4. **श्री मुकेश नाहर, संयुक्त निदेशक**:— शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता पद से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

5. **श्री अजय जैन, वित्तीय विश्लेषक**:— शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम., एफ.सी.ए. हैं। चार्टर्ड एकाउंटेण्ट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत लेखांकन, वित्त, लेखा—संपरीक्षा, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 17 वर्ष का अनुभव जिसमें चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के रूप में प्रैक्टिस, चार्टर्ड एकाउंटेण्ट फर्म में, औद्योगिक इकाईयों में तथा बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञप्ति द्वारा मूल्यांकनकर्ता व हानि—निर्धारक के रूप में सेवाएँ दी । श्री जैन आयोग में वित्तीय विश्लेषक के साथ—साथ आयोग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी है।

6. **श्री एस.पी. शुक्ला, उप निदेशक (अभियांत्रिकी)** :— शैक्षणिक योग्यता बी. ई. मेकेनिकल। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से अभियंता की उपाधि के उपरांत आयोग की सेवा में आने के पूर्व श्री शुक्ला ने 11 वर्षो तक विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप—विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर कार्य किया है।

7. **श्री हरेश सतपथी, उप निदेशक (टैरिफ)** :— शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. इलेक्ट्रीकल तथा एम.बी.ए. (वित्त)। आयोग की सेवा में आने के पूर्व 14 वर्षों का अनुभव जिसमें से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पारादीप फॉस्फेट में विद्युत संयंत्र में तकनीकी व वाणिज्यिक कार्य, प्रचालन व अनुरक्षण का कार्य 11 वर्षं उप—प्रबंधक के पद पर किया है। उन्हें अन्य सरकारी व निजी औद्योगिक इकाईयों में भी वैद्युतीक अभियांत्रिकीय कार्य का अनुभव है।

8. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :— शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम, एल.एल. बी.। मई 1988 से आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में वकालत की । छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पेनल में रह चुके हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमः–
विगत वर्षो की भांति वर्ष 2006 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम–आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके ।

विवरण

क्रमांक	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम / विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री एन.के. रूपवानी, सचिव एवं निदेशक (अभियांत्रिक)	नियामकों और नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इंडिपेडेंट पॉवर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली प्रशिक्षण स्थल–गोवा	6–8 अक्टूबर 2006
2.	श्री डी.के. दीवान निदेशक (टैरिफ)	वितरण व्यापार का विनियमन	द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली प्रशिक्षण स्थल–नई दिल्ली	25–29 सितंबर 2006
3.	श्री एस.पी. शुक्ला उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)	''भारतीय विद्युत बाजार का स्वरूप, वर्तमान और भावी बाजार तंत्र'' विषय पर सम्मेलन	इंडिपेडेंट पॉवर प्रोडयूसर एससेसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली प्रशिक्षण स्थल–नई दिल्ली	29 नवम्बर 2006
4.	श्री एस.पी. शुक्ला उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)	सह–उत्पादन	पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर प्रशिक्षण स्थल–बैंगलोर	1 फरवरी 2006

––––00000––––

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 आयोग के कृत्य – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय/आपूर्ति, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक विक्रय, थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी विद्युत व्यापारी, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाता है, उस प्रक्रिया एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार के लिये लाइसेन्स प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निपटारा करना और मध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का बनाना।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग से सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है । आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा ''कार्य संचालन विनियम, 2004 ''बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करने के लिए पात्र होगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश जो वह उचित समझे जारी कर सकता है ।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी ।

- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है ।
- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहां कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये सामना करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज की खोज कर प्राप्ति और उसकी प्रस्तुति के लिये या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण विषय (object);

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धाराओं 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रीमनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धाराओं 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

————00000————

खण्ड–4

राज्य सलाहकार समिति का गठन तथा इसके उद्देश्य

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी:–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) यूटिलिटी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य है:–

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
5.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर या उनके	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधिगण प्रतिनिधि
6.	प्रबंध संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई या उनके	सदस्य	बड़े उपभोक्तओं के प्रतिनिधि
7.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके	सदस्य	उपभोक्ताओं प्रतिनिधिगण के प्रतिनिधि
8.	श्री नितीन सिंघवी, रायपुर	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
11.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
12.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
14.	विभागाध्यक्ष, विद्युत यांत्रिकी विभाग, इंजीनियरिंग कालेज रायपुर	सदस्य	शैक्षणिक क्षेत्र के प्रतिनिधि
15.	श्री ललित सिंघानिया, रायपुर	सदस्य	गैरसरकारी/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
17.	श्री रामचन्द्र चेट्टी, कोरबा	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
18.	श्री अरूण कुमार चौबे, रायपुर	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
19.	श्री भागवत राम साहू, धमतरी	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
20.	श्री एम.पी.पाण्डे, सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेंटर किरन्दुल	सदस्य	गैरसरकारी/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
21.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी, डोंगरगढ़	सदस्य	जन प्रतिनिधि

22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, रायपुर कमेटी के स्थाई आमंत्रित सदस्य होंगे ।

आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :–

वर्ष 2006 में राज्य सलाहकार समिति की कुल तीन बैठकें दिनांक 03.01.2006,14. 07.2006 तथा 30.11.2006 को आयोजित की गई। इन बैठकों में विद्युत चोरी रोकने के उपाय, पारेषण एवं वितरण हानि कम करने के उपाय, विद्युत वितरण व्यवस्था में गुणवत्ता, सड़क बत्ती सुधार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ।

————00000————

खण्ड–5

वर्ष 2006 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/ टिप्पणियॉ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी':–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।

- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।

- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार आरंभ के दो वर्षो (2004 तथा 2005) में ही अधिकतर विनियम तैयार कर लागू कर दिये थे। यह प्रक्रिया वर्ष 2006 में भी सतत् जारी रही। दिनाँक 31–12–2006 की स्थिति में जारी विनियम की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2006 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम–2004
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम–2004
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम–2004
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम–2004
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम–2004
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम–2005
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम–2005
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005

12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005

13. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम–2005

14. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (भर्ती एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों विनियम–2005

(II) वर्ष 2006 में अधिसूचित विनियमः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम–2006

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम–2006

इस प्रकार आयोग के गठन के बाद से दिनांक 31.12.06 तक आयोग द्वारा कुल सोलह विनियम बनाये गये हैं। इनमें से दो संशोधन विनियम है।

5.2 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

वर्ष 2006 में न्यायिक कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष गत वर्ष की अनिर्णित, 8 याचिकाओं का अंतिम रूप से निराकरण करते हुए इस वर्ष प्रस्तुत अधिकांश याचिकाओं में भी आयोग द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इस वर्ष आयोग द्वारा कुल 41 याचिकाओं का निराकरण किया गया है, इस तरह इस वर्ष आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में से नौ याचिकाएँ वर्ष के अन्त में लंबित थी तथा एक प्रकरण माननीय अपीलीय अधिकरण ने कुछ निर्देशों के साथ पुनः सुनवाई हेतु अग्रेषित किया है, जिसका निराकरण माननीय अपीलीय अधिकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में किया जाना है। याचिकाओं की स्थिाति निम्नांकित सारणी में दर्शायी गई हैः–

याचिकाओं का निराकरण			
31–12–2005 की स्थिति में विचाराधीन	**वर्ष 2006 में पंजीकृत**	**वर्ष 2006 में निराकृत**	**31–12–2006 की स्थिति में विचाराधीन**
8	41	40	9

आयोग द्वारा इस वर्ष 53 दिन विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की गई। एक प्रकरण के निपटारे में औसत अवधि तीन महीने उन्नीस दिन की रही है । इस वर्ष किसी एक याचिका के निराकरण में लगी अधिकतम अवधि नौ महीने अठारह दिन और न्यूनतम अवधि सत्रह दिन रही।

वर्ष 2005 के अन्त तक कुल पंजीकृत 46 याचिकाओं में से वर्षान्त तक 38 याचिकाएं निराकृत हुई थी। इस प्रकार आयोग की स्थापना (01.07.2004) से दिनाँक 31.12.2006 तक कुल 78 याचिकाएं निराकृत हुई।

आयोग के निर्णयों के विरूद्ध हुई अपीलों में से माननीय अपीलीय अधिकरण ने 12 अपीलों मे अपना निर्णय दिया है, जिसमें से एक मामले में आयोग का निर्णय अपास्त कर माननीय अधिकरण ने आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ को परिवर्तित किया। एक अन्य मामले में माननीय अधिकरण ने कुछ बिन्दुओं को पुनर्विचार के पश्चात् निराकरण कर यथोचित आदेश पारित करने हेतु आयोग को अग्रेषित किया है। शेष अन्य याचिकाओं में आयोग द्वारा पारित आदेश एक–दो मामलो में मामूली फेरबदल के साथ यथावत रखे गये है।

5.3 विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग ने प्रथम बार विद्युत दरों का निर्धारण दिनांक 15.06.2005 को किया था जो दिनांक 01.07.2005 से प्रभावशील था। आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। परन्तु वर्ष 2006–07 के टैरिफ के लिये मण्डल द्वारा 6 माह के विलम्ब से दिनांक 30.05.2006 को याचिका प्रस्तुत की गई। आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत दिनांक 13.09.2006 को विद्युत दर आदेश जारी किया। यह विद्युत दरें दिनांक 01.10.2006 से लागू की गईं।

टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(i)	याचिका की प्राप्ति	30.05.2006
(ii)	आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन	30.06.2006
(iii)	मण्डल द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन	27.07.2006
(iv)	टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक	14.07.2006
(v)	बिलासपुर, अम्बिकापुर, रायपुर एवं जगदलपुर में जन सुनवाई (कुल 6 दिवस)	29.07.06, 01.08.06, 03 / 04.08.06 11.08.06 एवं 12.08.06
(vi)	टैरिफ आदेश पारित करने के तिथि (आवेदन से लेकर आदेश पारित होने की अवधि 105 दिवसों की है)	13.09.2006

वर्ष 2006–07 विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:–

1) वर्ष 2006–07 के लिये मण्डल द्वारा रू. 3216 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता बताई गई थी तथा आपेक्षित आय में रू. 469 करोड़ की कमी अनुमानित कर विभिन्न विद्युत दरों औसतन 6 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। मण्डल ने वास्तव में विद्युत दरों में वृद्धि से रू. 164 करोड़ वसूलने का प्रस्ताव रखा था जबकि वास्तविक कमी रू. 469 करोड़ अंकलित की गई थी। प्रस्ताव का गहन परीक्षण करने के उपरांत आयोग द्वारा मण्डल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू. 2740 करोड़ मानी गई और लगभग 24 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना पाया गया।

   इस प्रकार राजस्व आवश्यकता में घाटा नही होने के कारण विद्युत दरों में वृद्धि के बजाय केवल युक्ति युक्त करण किया गया।

2) विद्युत प्रदाय की औसत लागत जो पिछले वर्ष प्रति यूनिट रू. 3.45 आंकी गई थी वह इस वर्ष 25 पैसे घट कर रू. 3.20 रह गई।

3) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नही की गई।

4) अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में मामूली 3.45 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा टेलिस्कोपिक प्रणाली समाप्त की गई। घरेलू विद्युत दर औसत प्रदाय दर से अभी भी काफी कम (रू. 1.80 प्रति यूनिट) है।

5) पाँच हॉर्स पॉवर तक के कृषि पम्पों की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई, इस दर में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, हार्टीकल्चर, फल–फूल सब्जी उत्पादन और वन औषधि एवं जेटरोफा प्लांटेशन के लिये सिंचाई आदि शामिल किये गये, कृषि सम्बन्धी (Agriculture Allied) सेवाओं के नाम से एक नई विद्युत दर प्रारम्भ की गई जिसमें वृक्षारोपण, मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन, डेयरी, टिशुकल्चर, प्रयोगशाला, फूड प्रोसेसिंग इकाईयों इत्यादि शामिल किये गये इनके लिये गैर घरेलू दरें लागू थी जो औसत विघुत दरों से अधिक थी।

6) राज्य के औद्योगीकरण में इस्पात एवं उससे सम्बन्धित उद्योगो की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस्पात उद्योग की दरों में लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई।

7) मण्डल की पारेषण एवं वितरण हानि को 36 प्रतिशत से वर्ष 2006–07 में 2.7 प्रतिशत एवं वर्ष 2007–08 में 3 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिये गये।

8) रेलवे कर्षण का टैरिफ 5.5 पैसे प्रति यूनिट घटाई गई।

9) कोयला खदान तथा भारी उद्योग की श्रेणियों को मिलाकर एक दर बनाई गई।

10) अन्य उद्योगो का मांग प्रभार रू 30 प्रति के.वी.ए. की दर से घटाया गया।

11) उच्च दाब में थोक में विद्युत क्रय कर रिहायशी कालोनी में विद्युत प्रदाय करने हेतु अलग से सस्ती विद्युत दर बनाई गई।

12) उद्योगों को रात्रि में विद्युत का उपयोग करने के लिये बढ़ावा देने हेतु टाइम ऑफ डे टैरिफ बनाया गया।

13) अति उच्चदाब उद्योगों की न्यूनतम दर घटाई गई।

14) सभी उपभोक्ताओं के लिये मीटर लगाकर विद्युत प्रदाय करने के निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही मण्डल को विद्युत का ऑडिट करने तथा इसकी चोरी तथा दुरूपयोग रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये।

5.4 आयोग द्वारा मंडल को निर्देशः—

विगत टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा मंडल को लागत में कमी, दक्षता में वृद्धि, अधिनियम में संकल्पित सुधार, प्रबंधन सूचना प्रणाली, लेखा संपरीक्षा वित्तीय प्रबंधन, बकाया वसूली तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण जैसे अनेक विषयों पर निर्देश दिये गये है। जिनके अनुपालन की स्थिति पर आयोग द्वारा अनुशीलन करने पर यह पाया गया कि उनका न केवल अनुपालन नगण्य हुआ है बल्कि उनके अनुपालन के प्रति कोई गंभीरता का प्रदर्शन भी नहीं किया गया है। अतः आयोग द्वारा उन निर्देशों में से 29 निर्देशों का पुर्नउल्लेख करना पड़ा तथा साथ ही 10 नवीन निर्देश भी मंडल को दिए गए हैं।

5.5 आयोग द्वारा राज्य शासन को परामर्श

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (2) में निहित क्षेत्राधिकार के अधीन आयोग द्वारा राज्य शासन को निम्नलिखित परामर्श दी गई ।

1. <u>विद्युत कर का युक्तियुक्तकरणः</u>—

विगत टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा राज्य शासन का ध्यान राज्य में विद्युत कर की दरों में युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया था परन्तु राज्य शासन द्वारा विद्युत कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस वर्ष भी टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अपनी पूर्व में दी गई परामर्श की पुनरावृत्ति करते हुए राज्य शासन को यह परामर्श दिया है कि विद्युत कर ढांचे के युक्तियुक्तकरण पर विचार करें ताकि कतिपय वर्गों के उपभोक्ताओं पर विद्युत कर का भार (उदाहरण के लिये एक स्तर के घरेलू उपभोक्ता जिन पर यह दर 23 प्रतिशत है और कोयला खान जिन पर दर 40 प्रतिशत है) असामान्य रूप से अधिक न पड़े । इस प्रकार के युक्तियुक्तकरण से विद्युत की कीमतों के युक्तियुक्तकरण में भी मदद मिलेगी ।

2. <u>मंडल द्वारा राज्य शासन की ओर से विद्युत कर की राशि का संग्रहणः–</u>

राज्य शासन ने विद्युत कर तथा उपकर का उपभोक्ताओं से संग्रहण करने का दायित्व मंडल को सौंपा है । इस कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा मंडल को कोई संग्रहण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है । मंडल उक्त राशि को अपने विद्युत प्रभार के देयकों में जोड़कर वसूली हेतु उपभोक्ताओं को भिजवाता है। उक्त देयकों में जोड़ी गई विद्युत कर तथा उपकर की राशि उपभोक्ताओं से वसूल होने के पूर्व ही अग्रिम रूप से मंडल द्वारा राज्य शासन को प्रेषित करना होता है । मंडल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 15 से 21 दिन का समय देयकों के भुगतान हेतु दिया जाता है। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में अधिभार आरोपित करके 7 दिन का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाता है किन्तु इसके उपरांत भी अनेक उपभोक्ता विद्युत देयकों का भुगतान करने में चूक कर जाते है। इन समस्त परिस्थितियों में भी मंडल को विद्युत देयकों की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त हो अथवा न हो विद्युत कर तथा उपकर की राशि मंडल द्वारा राज्य शासन को निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः प्रेषित करनी होती है। आयोग के विचार में यह रीति उचित नहीं है तथा इसके स्थान पर मंडल द्वारा वास्तव में राशि के संग्रहण के पश्चात् ही विद्युत कर तथा उपकर की राशि को राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

3. <u>मंडल के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की अनुषांगिक (Auxilliary) खपत पर विद्युत कर का अधिरोपणः–</u>

कुल उत्पादित विद्युत का लगभग 9.5% ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लाये जाने वाले अनुषांगिक उपकरणों में ही खप जाता है। मंडल को इस अनुषांगिक खपत पर 22.48 पैसे प्रति इकाई की दर से विद्युत कर तथा 5 पैसे प्रति इकाई की दर से उपकर का भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अनुषांगिक खपत विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, आयोग की दृष्टि में इस पर विद्युत कर का अधिरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि उक्त राशि को विद्युत–उत्पादन की लागत में सम्मिलित किया जाकर उपभोक्ताओं से ऊर्जा देयकों के माध्यम से वसूला जाता है तथा उन देयकों में दोबारा राज्य शासन द्वारा लागू दर पर विद्युत कर तथा उपकर लगाया जाता है अर्थात् विद्युत कर दो बार उपभोक्ताओं पर प्रभारित होता है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मंडल के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के अनुषांगिक खपत पर विद्युत कर से विमुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

4. <u>राज्य शासन द्वारा मंडल को देय बकाया सहायक अनुदान राशिः–</u>

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मध्य आस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन हेतु भारत शासन, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 04–11–2004 में निहित अंतिम विभाजन आदेश के अनुसार तत्कालीन अविभाजित

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की लेखा पुस्तकों में कुल रू. 2447.60 करोड़ सहायक अंशदान राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत मंडल को देय बकाया थी जिसे उक्त आदेश के प्रावधानों के आधार पर 77.63:27.97 के अनुपात में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में विभाजित करने पर रू. 562.21 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को देय बकाया निर्धारित की गई है।

आयोग ने राज्य शासन से निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र राज्य शासन इस बकाया सहायक अनुदान राशि का निपटारा कर दे ताकि आस्तियों तथा दायित्वों के अंतरण की योजना तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की पुर्नसंरचना के क्रियान्वयन में सहूलियत हो सके ।

5.6 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) की स्थापनाः—

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत मंडल द्वारा राज्य में रायपुर, विलासपुर तथा जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम (फोरम) स्थापना की गई है। इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 42(6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेशों के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य के प्रथम विद्युत लोकपाल के रूप मे श्री जुगल किशोर सिंह राजपूत की नियुक्ति की गई है। श्री राजपूत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद से सेवानिवृत्त हुए है । उक्त पद से पूर्व श्री राजपूत न्यायिक सेवा के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं जिनमें छत्तीसगढ़ शासन के विधि सचिव तथा जिला न्यायाधीश के पद उल्लेखनीय है।

————00000————

खण्ड–6

आयोग द्वारा वर्ष 2006 में किये गये अन्य कार्य

6.1 उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ का गठन

आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता पक्ष समर्थन हेतु इस वर्ष दिनांक 23–01–2006 को उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें आयोग के सचिव, उपसचिव व विधि अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया। इस प्रकोष्ठ के निम्नलिखित कार्य है :–

1. नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का सरल भाषा में प्रकाशित करना, पर्चों आदि के द्वारा प्रचार ।
2. उपभोक्ताओं से अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों एवं सेवाओं की गुणवत्ता तथा फुटकर टैरिफ के बारे में जानकारी (Feedback) प्राप्त करना।
3. उपभोक्ताओं के हित संरक्षण हेतु नियामक आयोग द्वारा की गई कार्यवाहियों से उपभोक्ताओं को अवगत कराना।
4. उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, ताकि उसके संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु वे पहुंच सकें।
5. उपभोक्ताओं को आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, विद्युत उपभोक्ता फोरम, विद्युत लोकपाल के अस्तित्व, प्रक्रियाओं तथा विनियमों के बारे में जागरूक बनाना है, ताकि वे शिकायत निवारण हेतु पहुंच सकें।
6. उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये आवश्यक उपाय करना, ताकि नियमों/विनियमों के किसी उल्लंघन या नियामक आयोग के निर्देशों के अपालन की दशा में, वे अपनी शिकायतें, अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत बेरोकटोक आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
7. उपभोक्ताओं में विनियमों, संहिताओं, और आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशों एवं निर्देशों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें कार्यवाहियों एवं जन सुनवाई में सम्मिलित होने तथा भाग लेने तथा इसी क्रम में सुझाव, आपत्तियां तथा टीका टिप्पणी देने हेतु प्रशिक्षित करना, जिससे अनुज्ञप्तिधारी/आयोग को बेहतर ढंग से उपभोक्ताओं की सेवा करने में सशक्तता मिल सके ।
8. विद्युत का अपव्यय, अवैध उपयोग और चोरी इत्यादि टालने के अनुक्रम में उपभोक्ताओं को विद्युत के उचित उपयोग का प्रशिक्षण देना और उनमें ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ।

9. विद्युत अधिनियम 2003 के चोरी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक प्रावधानों के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करना ताकि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो।

10. विद्युत चोरी के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना देने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना ।

उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ, उपभोक्ताओं को उनके लाभ के लिए अधिक से अधिक जानकारी देने के अनुक्रम में विभिन्न पहलूओं पर प्रेस विज्ञप्ति तैयार करेगा, और यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ताओं में जागरूता बढ़ाने के लिए विज्ञापन भी आयोग के खर्चे पर तैयार करेगा। उन उपभोक्ताओं को, जो आयोग से सहायता, मार्गदर्शन या सूचना हेतु व्यक्तिगत रूप से या अन्य संपर्क करेंगे, प्रकोष्ठ उन्हें समुचित सलाह देगा ।

प्रकोष्ठ ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा टैरिफ याचिका के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जानकारी–पत्रक छपवाकर विद्युत देयकों के साथ उनके वितरण हेतु विद्युत मण्डल को आयोग ने निर्देशित करवाया।

6.2 आयोग की वेबसाईट की गुणवत्ता, व्यापकता तथा उपयोगिता में सुधार

गत वर्ष प्रारंभ की गई आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in में निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी रखते हुए उसकी गुणवत्ता, व्यापकता व उपयोगिता को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने में आयोग ने सफलता प्राप्त की। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से आयोग द्वारा अपने कार्यकलापों के समस्त पहलुओं की जानकारी जन सामान्य को सुलभ करवाने तथा अपने कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखने के दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया गया। आयोग की वेबसाईट पर आयोग द्वारा बनाये गए प्रारूप विनियम, अंतिम विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की टैरिफ याचिका, जन–सुनवाई की सूचना, आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश तथा अन्य आदेश, गत वर्ष आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि समय–समय पर नियमित रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं।

आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के हित में बनाए गए ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम 2006 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की संक्षिप्त जानकारी का सार्वजनिक प्रसारण करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति ''सेवा में त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा'' विषय पर जारी की गई ।

————**00000**————

खण्ड–7

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण

7.1 आयोग की निधि हेतु वैधानिक प्रावधान

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आवंटित अनुदान राशि एवं ऋण, आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को समाकेलित (क्रेडिट) किया जाता है ।

इस निधि का उपयोग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, तथा भत्तों का भुगतान करने हेतु आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 के अनुसरण में किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन हेतु तथा अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर व्ययों के भुगतान हेतु उपरोक्त धारा की कंडिका (2) (a) द्वारा प्रदत्त अनुमति से किया जाता है । इन व्ययों का भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श के उपरांत राज्य शासन द्वारा संसूचित रीति से किये जाने का प्रावधान उपरोक्त धारा की उपधारा (3) में विद्यमान है।

तद्नुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनांक 60–08–2004 को राज्य शासन को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु भिजावाये गए थें। ये नियम यद्यपि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर राज्य शासन को प्राप्त हो चुके है किन्तु इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की प्रतीक्षा है। अतः गत वर्ष के समान इस वर्ष भी आयोग द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित रखने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रारूप नियम के अनुसार आयोग की निधि का संचालन एवं प्रबंधन आयोग द्वारा यथावत रखा गया।

7.2 आयोग के लेखाओं एवं उससे संबंधित अभिलेखों के संधारण हेतु वैधानिक प्रावधान

अधिनियम की धारा 104(1) में राज्य शासन द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरांत, संसूचित प्रारूप के अनुरूप समुचित लेखे एवं संबंधित अभिलेख संधारित करते हुए अपना वार्षिक विवरण आयोग द्वारा तैयार किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनांक 28–07–2004 को राज्य शासन को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु प्रेषित किये गए थे । ये नियम यद्यपि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर राज्य शासन को प्राप्त हो चुके

है इनके भी राजपत्र में प्रकाशित होने की प्रतीक्षा है। अतः गत वर्ष के समान इस वर्ष भी आयोग द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को संधारित करने की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा उपरोक्त प्रारूप वार्षिक लेखा नियम के अनुसार लेखाओं का संधारण करते हुए वित्तीय वर्ष 2005–06 का वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया गया है ।

7.3 आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा (ऑडिट)

धारा 104 (2) में आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये जाने का प्रावधान है । तथा उपधारा (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित लेखाओं को लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किये जाकर राज्य शासन द्वारा यथाशीघ्र राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 (01–07–2004 से 31–03–2005) का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित आयोग का वार्षिक लेखा विवरण तथा लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन आयोग को दिनांक 05–04–06 को प्राप्त हुए जिन्हे निराकरण टीप सहित आयोग द्वारा राज्य शासन को दिनांक 19–07–2006 को प्रेषित किया गया जिसे राज्य शासन द्वारा विधानसभा को प्रेषित किया जाकर दिनांक 31–07–2006 को विधानसभा पटल पर रखा गया।

वित्तीय वर्ष 2005–06 के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 09–10–2006 से 13–10–2006 तक आयोग के कार्यालय में आकर की जा चुकी है। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित अभ्युक्तियों के निराकरण संबंधी टीप सहित वित्तीय वर्ष 2005–06 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे, उन पर महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न (परिशिष्ट) है।

7.4 आयोग का वार्षिक बजट

धारा 106 तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बजट) नियम 2004 (प्रारूप) के अनुसरण में आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 का पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2007–2008 बजट अनुमान राज्य शासन को दिनांक 16–10–2006 को प्रेषित किया गया ।

7.5 गत वित्तीय वर्ष 2005–06 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2004–05 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31–03–05 को विगत अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रू. 63,03,094.50 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2005–06 की रोकड़ बही दिनांक 01–04–2005 को प्रारंभ की गई । उसके उपरांत सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 1,70,15,179.80 हुई जिसमें से रू. 60,00,000.00 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा अन्य रू. 1,10,15,179.80 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए। कुल व्यय 1,00,87,433.00 हुआ जिसमें से रू. 5,80,150.00 पूंजीगत व्यय तथा रू. 95,07,283.00 स्थापना, प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय थे । दिनाँक 31–03–2006 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैकस्थ रोकड़ रू. 1,32,30,841.30 शेष था । वर्ष 2005–06 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में हैं।

7.6 चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वर्ष 2006 की शेष अवधि अर्थात् दिनाँक 01–04–2006 से 31–12–2006 (9 माह) के प्रारंभ में आयोग की रोकड़ बही को उपरोक्त प्रारंभिक शेषों के साथ प्रारंभ किया गया । उसके उपरांत इस अवधि में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 1,65,50373 हुई जिसमें से रू. 30,00,000 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा अन्य रू. 1,35,50,373 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए ।

दिनाँक 01 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक की 9 माह की अवधि में कुल रू. 20,760,26.10 व्यय हुआ, जिसमें से रू. 11987.00 पूँजीगत व्यय तथा अन्य रू. 2064039.10 स्थापना, प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय है। दिनाँक 31 दिसंबर 2006 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ रू. 2,07,77,441.40 शेष था ।

————00000————

AUDIT CERTIFICATE

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March, 2006 and Income & Expenditure/Receipt and Payment Account for the year ended on that date annexed thereto under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.These financial statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these fmancial statements based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fmancial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the fmancial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of fmancial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(ii) The Balance sheet and Receipt and Payment/Income and Expenditure Account dealt with in this report have been drawn up in the format prescribed in draft Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules and the approval of the format has not been obtained from the Government of Chhattisgarh under section 104 (1) of the Electricity Act, 2003.

(iii) Subject to our detailed observations in the Separate Audit Report annexed herewith, we report that the Balance Sheet and Receipt and Payment/Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(iv) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and Receipt and Payment/Income and expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon and subject/due to the significant matters stated above and other matters mentioned in the separate audit report annexed herewith, give a true and fair view.

   (a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the State of affairs of the Commission as at 31 March, 2006 and

   (b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Accountant General
Chhattisgarh

Place: Raipur
Date: 07-02-2007

Separate Audit Report of Accountant General Chhattisgarg on the Annual Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2005-06

A. Introduction:-

The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission was constituted by the Government of Chhattisgarh vide notification dated 23.8.2002 issued under the provisions of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 and read with notification No: 432/R352/03 dated:11.05.2004. It has become operational w.e.f. 01.07.2004. The Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March, 2006 as approved by the Commission were audited under the provisions of Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with best accounting practices, Accounting Standards disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc, if any, are issued separately through inspection reports/CAG Audit Reports.

B. Form of Accounts:-

The Commission has compiled the accounts in the format prescribed in draft Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules 2006. The draft Annual Accounts Rules are awaiting approval of the Government.

C. Organisation set up:-

The Commission is a body corporate and comprises two members including the chairman, who are appointed by the State Government.

D. Functions of the Commission:-

The main function of the Commission is to determine tariff, regulate electricity purchase and procurement, including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources, through agreements etc.

E. Working Results: -

The working results of the Commission for the years 2004-05 and 2005-06 are given in Annexure-1. The net surplus of Rs.81.09 lakh for the current year has been arrived at after taking into account the Grant-in-Aid from the Government of Chhattisgarh for the year 2005-06.

F. Comments on Accounts

I Income and Expenditure account

Establishment charges

Leave Salary and pension Contribution Rs. NIL

The above does not include a sum of Rs.1.13 lakh contributed by the Commission during the year to the Contributory Pension Scheme of the employees and classified under "Administrative and Other Expenditure". This has resulted in overstatement of 'Administrative and other Expenditure", and understatement of "Establishment Charges" by Rs.l.13lakh.

II Balance Sheet

Assets

(i) Fixed Assets Rs.30.89 lakh

The above is understated by Rs.73,650 due to non accounting of furniture purchased during the year. This has also resulted in understatement of Current liabilities and provisions by Rs.73,650, understatement of depreciation by Rs.2,210 and overstatement of "Surplus" by the same amount.

(ii) Cash-at-Bank Rs.l.32 crore

The above is understated by Rs.12,843 due to non-accounting of seven stale cheques. This has also resulted in understatement of current liabilities and provision by the same amount.

III General

(i) A reference is invited to Note 5 of the "Notes forming part of the Accounts" wherein it is stated that "property and income of the Commission is exempt from union taxation by virtue of Article 289 of the Constitution of India." But as the Commission is having a separate Fund quite distinct from the consolidated Fund of the State and all its receipts are credited in to that Fund maintained in a Scheduled Bank, the Commission does not come under the category of 'State' to claim exemption under Article 289 of the Constitution of India. As such, the note to factually incorrect.

(ii) Provision for gratuity has not been made in the accounts. Mere disclosure of the fact of non-provision in the notes (Note No.(III)6) is not sufficient.

(i) Provision for expenditure incurred by the Comptroller and Auditor General of India in connection with the audit of annual accounts is not made in the accounts.

(iv) Figures for previous year have not been depicted in the Schedules forming part of the accounts except in schedule A.

Annexure-1
(Referred to in Sl. No. E of Audit Report)
Working results of CSERC for the two years ended 31 March, 2006

(Rs . in lakh)

		2004-05 (01-07-2004 to 31-03-2005)	**2005-06**
1.	**Revenue Receipts**		
	a. Commission/Fee	63.22	110.44
	b.Grant-in Aid	54.50	60.00
	c.Interest on Cash at bank	0.69	6.35
	d. Other	0.23	2.59
	Total	**118.64**	**179.38**
2.	**Revenue Expenditure**		
	i. Establishment expenses	27.55	60.64
	ii.Admn. & Other office expenses	15.46	35.71
	iii. Depreciation	1.24	1.94
	Total	**44.25**	**98.29**
3.	**Net surplus (1-2)**	**74.39**	**81.09**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखा विवरण पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र व प्रतिवेदन में लेख की गई अभ्युक्तियों के संबंध में आयोग द्वारा निराकरण पर टीपः–

I. संपरीक्षा प्रमाण पत्र की अभ्युक्तियाँ :–

कंडिका (ii) में **अभ्युक्ति :–**

तुलनपत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा/ आय व्यय लेखे जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए है, निर्धारित प्रारूप में संधारित किये है जिनकी स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (1) के अनुसरण में प्राप्त नहीं की गई है।

निराकरण टीप :–

आयोग द्वारा लेखे एवं अन्य संबंधित अभिलेख विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (1) के अनुपालन में संधारित किये जा रहे है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि आयोग द्वारा अपना वार्षिक लेखा विवरण राज्य शासन द्वारा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के परामर्श से संसूचित प्रारूप में तैयार किया जाना है। आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा) नियम 2004 का प्रारूप दिनांक 28.07.04 को राज्य शासन को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श उपरांत जारी करने हेतु भेजा गया था। आयोग को प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त प्रारूप नियम व उनमें सम्मिलित लेखा पुस्तकों व वार्षिक लेखा विवरणों का प्रारूप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने परामर्श उपरांत राज्य शासन को प्रेषित कर दिया है शासन के द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही जारी है। स्वीकृत नियम के अभाव में आयोग द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण प्रारूप नियम के अनुरूप किया जाना अपरिहार्य है आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 के द्वारा सौपें गये कृत्यों व दायित्वों का समुचित रूप से, यथासमय पूर्णरूपेण निर्वहन किया है अतः निवेदन है कि उक्त अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जाए।

''एफ'' लेखाओं पर टीका :–

अभ्युक्ति :–

I आय एवं व्यय लेखा

स्थापना व्यय

अवकाश वेतन एवं निवृत्ति अंशदान : रू. निरंक

उपरोक्त मद के अंतर्गत आयोग द्वारा वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना में रू. 1.13 लाख का अंशदान न दर्शाकर ''प्रशासकीय एवं अन्य व्यय'' मद में वर्गीकृत किया गया जिससे प्रशासकीय एवं अन्य व्यय अधिक वर्णित किए गए एवं स्थापना व्यय रू. 1.13 लाख से कम दर्शाये गये है।

निराकरण टीपः–

इस अभ्युक्ति में एक मद से दूसरे मद में दर्शाये जाने की त्रुटि मात्र है इससे निवल आधिक्य अप्रभावित रहता है तथापि त्रुटि सुधार हेतु भविष्य के लिए टीप कर लिया गया है।

II तुलन पत्र

आस्तियाँ

अभ्युक्ति :–

(i) स्थायी आस्तियाँ रू.30.89 लाख :

उपरोक्तांतर्गत वर्ष के दौरान क्रय किए गए फर्नीचर का लेखांकन न किए जाने से रू 73650/– से कम दर्शाया गया जिससे चालू दायित्व एवं प्रावधान रू. 73650/– से कम दर्शाया गया। अवक्षयण रू 2210/– से कम दर्शाया गया व उसी राशि से आधिक्य अधिक किया गया।

निराकरण टीपः–

इस अभ्युक्ति से सम्बन्धित फर्नीचर का क्रय विद्युत लोकपाल कार्यालय हेतु किया गया था जिस पर हुआ व्यय विद्युत अनुज्ञप्तिधारी से पूर्णतः वसूली योग्य था। आयोग को उपरोक्त क्रय पर हुआ व्यय वहन नहीं करना पड़ा अतः इस पर आयोग के लेखे में अवक्षयण नहीं दर्शाया गया। चूँकि उपरोक्त क्रय पर हुआ व्यय पूर्णतः विद्युत अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य था अतः उक्त फर्नीचर उक्त फर्नीचर का मूल्य आयोग की स्थिर आस्तियों में जोड़ा जाना तथा इस पर आयोग द्वारा अवक्षयण प्रभारित करना लेखांकन के सिद्धांतो के प्रतिकूल है। इस आधार पर उक्त अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

अभ्युक्ति :–

(ii) बैक में रोकड़ रू. 1.32 करोड़

उपरोक्त को सात कालातीत धनादेशों के अलेखांकन की वजह से रू. 12843/– से कम दर्शाया गया । इससे चालू दायित्व एवं प्रावधान भी उतनी ही राशि से कम वर्णित हुए।

निराकरण टीपः–

कालातीत धनादेशों के प्रति आयोग का कोई भी पृथक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। एक बार जब किसी व्यय के संबंध में आयोग द्वारा धनादेश जारी कर दिया जाता है, आयोग का उस व्यय के प्रति दायित्व वहीं समाप्त हो जाता है। यदि भुगतानग्रहीता द्वारा वैधता अवधि में धनादेश भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है व धनादेश कालातीत हो जाता है तो आयोग का फिर से कोई भी दायित्व उस व्यय के भुगतान के प्रति उत्पन्न नहीं होता है। आयोग के बैंक खाते में जरूर वह राशि अनाहरित रहती है किंतु उसे वर्षांत के बैंक समाधान विवरण में दर्शाया जाता है। किसी निर्वहित दायित्व को पुनः चालू दायित्व वर्णित करने पर लेखों की प्रामाणिकता का स्तर निम्न होगा। इसलिए आयोग द्वारा कालातीत धनादेशों को बैंक समाधान विवरण में दर्शाया गया है। कालातीत धनादेशों की राशि को बैंक रोकड़ में जोड़ने पर बैंक रोकड़ शेष राशि में भ्रामक स्थूलता उत्पन्न हो जायेगी जो कि अनजाने में भुगतान हेतु उपलब्ध राशि से अधिक राशि से धनादेश जारी कर दिये जाने की त्रुटि की संभावना उत्पन्न कर सकती है इसका परिणाम आयोग के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही हो सकता है। इस आधार पर उक्त अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

III सामान्य टिप्पणी

(i) अभ्युक्ति :–

लेखाओं पर टिप्पणियों की टीप 5 पर संदर्भ आंमत्रित किया जाता है जहाँ यह वर्णित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के तहत 'आयोग की सम्पति एवं आय' संघीय कराधान से मुक्त है किंतु आयोग की एक पृथक निधि है जो राज्य की समेकित निधि से एकदम भिन्न है व इसकी सभी प्राप्तियाँ इस निधि में, जो अनुसूचित बैंक में संधारित है, नामें की जाती है। आयोग राज्य की श्रेणी में नहीं आता है अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार टीप वास्तविक रूप से असत्य है।

निराकरण टीपः–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 289 के अनुसार राज्य की सम्पत्ति एवं आय को संघीय कराधान से छूट है । आयोग की सम्पत्ति एवं आय, राज्य की ही सम्पत्ति एवं आय है । केवल पृथक निधि होने की वजह से आयोग की सम्पत्ति एवं आय का स्वरूप नहीं बदलता अतः आयोग की निधि भी राज्य की समेकित निधि के अनुरूप राज्य की ही निधि है जो संघीय कराधान से मुक्त है। राज्य की आय एवं सम्पत्ति का अभिप्राय केवल राज्य की समेकित निधि तक ही सीमित नहीं समझा जाना चाहिए। यद्यपि आयोग की निधि राज्य की समेकित निधि से पृथक है, निधि राज्य के स्वत्वाधीन है। अतः आयोग की निधि, संपत्ति तथा आय राज्य शासन के अलावा अन्य किसी की नहीं है। अतः आयोग की संपत्ति तथा आय संघीय कराधान से विमुक्त है। इस आधार पर उक्त अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

(ii) अभ्युक्तिः–

लेखो में उपादान का प्रावधान नहीं किया गया है । केवल प्रावधाान नहीं किए जाने का उल्लेख टीप नं. (iii) में किया जाना काफी नहीं हैं।

निराकरण टीपः–

आयोग के किसी भी नियमित कर्मचारी ने अपनी सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नहीं किए है अतः वे अभी तक उपादान के पात्र नहीं है इसलिए लेखों में उपादान का प्रावधान नहीं किया गया है। चूँकि यह विद्यमान दायित्व न होकर केवल मृत्यु जोकि स्वयं एक आकस्मिक घटना है पर निर्भर दायित्व है अतः विद्यमान दायित्व सदृश्य इसका प्रावधान किया जाना लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है। लेखांकन मानको में विद्यमान दायित्वों (Existing liabilities) का प्रावधान लेखाओं में किया जाना अनिवार्य है जबकि आकस्मिक दायित्वों (Contingent liabilities) का टीप के रूप में प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। अतः अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

(iii) अभ्युक्तिः–

वार्षिक लेखों की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किए गए व्यय का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।

निराकरण टीपः–

वार्षिक लेखे वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की दो संपरीक्षओं के बाद भी आज तक कोई भी देयक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कभी भी आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह प्रतीत होता है कि वार्षिक लेखों की संपरीक्षा के संबंध में कोई भी व्यय नहीं हुआ है। अतः संपरीक्षा के संबंध में हुए व्यय का प्रावधान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस आधार पर अभ्युक्ति को पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

(iv) अभ्युक्तिः–

परिशिष्ट 'अ' को छोड़कर लेखांकन के सभी परिशिष्टों में पूर्व वर्ष के आँकडे नहीं दर्शाये गए हैं।

निराकरण टीपः–

वार्षिक लेखे एवं परिशिष्ट प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग वार्षिक लेखा नियम, 2006 में दिए गए प्रारूप प्रपत्र में ही तैयार किए गए हैं। उक्त प्रारूप प्रपत्रों में जहां भी निर्धारित है पूर्व वर्ष के आँकड़े दर्शाये गए हैं । अतः इस अभ्युक्ति को भी पूर्णतः निराकृत समझा जावे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–क

(देखिये नियम 3)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

(1–4–2005 से 31–3–2006)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष				1. स्थापना व्यय (सारणी 1)		
निरंक	(i) हस्तस्थ रोकड़	732.00		1968434.00	(i) वेतन एवं भत्ते	5206454.00	
निरंक	(ii) बैंक में रोकड़	6302362.50	6303094.50	47258.00	(ii) मजदूरी	119536.00	
5450000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		6000000.00	52462.00	(iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के		
	3. आयोग की प्राप्तियाँ			निरंक	लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	105564.00	
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ				(iv) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन		
निरंक	(क) निवेश का नगदीकरण	निरंक		251352.00	(v) यात्रा व्यय (सारणी 2)		
निरंक	(ख) निवेश पर ब्याज	निरंक		निरंक	(क) देशीय यात्रा	478787.00	
	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की			निरंक	(ख) विदेश यात्रा	निरंक	
निरंक	वसूली	निरंक			(ग) अवकाश यात्रा रियायत	24992.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			निरंक	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	11500.00	
निरंक	(क) वर्तन	निरंक		निरंक	(vii) ओवर टाईम भत्ता	निरंक	
7321750.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	10044250.00		4640.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	17592.00	
69143.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	634733.00		निरंक	(ix) अधिलाभांश	8159.00	
	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम			निरंक	(x) अन्य स्थापना व्यय	निरंक	5972584.00
निरंक	पर ब्याज	निरंक			2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
	(ड़) विविध प्राप्तियाँ			25000.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	92148.00	
	(i) बयाना राशि			127546.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	310437.00	
	कुल प्राप्ति 15000.00			390040.00	(iii) किराया	839165.00	
25000.00	(–) वापसी 15000.00	निरंक		900909.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2200450.00	3442200.00
43101.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	21358.00		2827105.00	3. पूंजीगत व्यय		580150.00
	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ			4320.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (भुगतान)		3298.00
	(अ) समूह बीमा योजना (अप्रेषित)			25818.00	5. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		76357.00
1080.00	कुल प्राप्तियाँ 3726.00				6. अन्य अग्रिम		
निरंक	(–) वापसी 4806.00 – 1080.00				विद्युत लोकपाल के व्यय		12844.00
16800.00	(ब) सामान्य भविष्य निधी 315.00				(अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त)		
निरंक	(स) नवीन अंशदायी पेंशन योजना 60726.00	59961.00			6. अंतिम शेष		
18750.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिक्री	13350.00		732.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	7592.00	
5000.00	(v) स्टाफ कार वसूली	10250.00		6302362.50	(ii) बैंक में रोकड़	13223249.30	13230841.30
2320.00	(vi) गृह किराया वसूली	6960.00					
निरंक	(vii) निविदा हेतु कार्यवाही शुल्क	204000.00					
निरंक	(viii) प्रकाशन का विक्रय	14490.00					
84.50	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	7777.80					
	(x) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का						
	विक्रय						
1950.00	प्राप्तियां 2400.00						
निरंक	(–) भुगतान (–)4350.00	–1950.00	11015179.80				
12954978.50	योग		23318274.30	12954978.50	योग		23318274.30

–हस्ता.– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

–हस्ता.– सचिव

–हस्ता.– सदस्य

–हस्ता.– अध्यक्ष

स्थान: रायपुर
दिनांक : 28.07.06

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -1

(देखिये नियम 3)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	827863.00	2462942.00	1915649.00	5206454.00
(ii)	मजदूरी	निरंक	निरंक	119536.00	119536.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iv)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	827863.00	2462942.00	2035185.00	5325990.00

सारणी -2

(देखिये नियम 3)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	277134.00	194898.00	6755.00	478787.00
(ii)	विदेश यात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	निरंक	निरंक	24992.00	24992.00
	योग	277134.00	194898.00	31747.00	503779.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

दिनाँक 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2005 से 31.3.2006)

क्रमांक	विवरण		राशि (रु)
1.	परीक्षा एवं प्रशिक्षण व्यय		21000.00
2.	विज्ञापन एवं प्रचार		96236.00
3.	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका		4920.00
4.	परिधान		1882.00
5.	विद्युत एवं पानी खर्च		158975.00
6.	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)		3140.00
7.	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण		33012.00
8.	पेट्रोल तेल चिकनाई		139184.00
9.	डाक एवं तार व्यय		15359.00
10.	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म		101203.00
11.	पोशाक/गणवेश व्यय		640.00
12.	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय		25393.00
13.	अधिवक्ता शुल्क		58000.00
14.	किताब एवं प्रकाशन		7701.00
15.	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त		52353.00
16.	सलाहकार शुल्क		720000.00
17.	छ.ग.रा.वि.नि. आयोग की नवीन अंशदायी पेंशन योजना	103711.00	
	(+) नवीन अंशदायी पेंशन योजना कोष पर ब्याज	9699.00	113410.00
18.	सूचना प्रौद्योगिकीय शुल्क		59460.00
19.	सदस्यता शुल्क (SAFIR)		43760.00
20.	मरम्मत एवं रखरखाव		
(I)	यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	53718.00	
(II)	मोटर गाड़ी (अध्यक्ष)	22542.00	
(III)	मोटर गाड़ी (सदस्य)	25439.00	101699.00
21.	भाड़ा (कार)		234032.00
22.	भाड़ा (आटो रिक्शा)		95974.00
23.	अतिथि सत्कार व्यय		20123.00
24.	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)		150000.00
25.	विविध कार्यालय व्यय		71572.00
	कुल व्यय		2329028.00
	घटायें: देय व्यय हेतु प्रावधान		
	(1) भाड़ा (कार)	28692.00	
	(2) भाड़ा (आटो रिक्शा)	6441.00	
	(3) समाचार पत्र/पत्रिका	1895.00	
	(4) छ.ग.रा.वि.नि.आ की नवीन अंशदायी पेंशन योजना में आयोग का समतुल्य योगदान	103711.00	
	(5) नवीन अंशदायी पेंशन योजना कोष पर ब्याज	9699.00	150438.00
			2178590.00
	जोड़ें: गत वर्ष का बकाया व्यय चालू वर्ष में भुगतान		
	(1) भाड़ा (कार)	13155.00	
	(2) भाड़ा (आटो रिक्शा)	8705.00	21860.00
	कुल भुगतान		2200450.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ख

(देखिये नियम 3)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

(1–4–2005 से 31–3–2006)

गत वर्ष (रू.)	व्यय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	क. स्थापना व्यय (सारणी 1क)				1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	6000000.00	
2350486.00	1. वेतन एवं भत्ते	5282913.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	निरंक	
87626.00	2. मजदूरी	108476.00	5391389.00		योगः	6000000.00	
	3. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए				घटायें: पूंजीकृत राशि	निरंक	
61259.00	भुगतान (सुरक्षा एवं भवन रक्षण)		105564.00	5450000.00	शुद्ध योगः	6000000.00	6000000.00
	(क) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति		निरंक	निरंक	2. निवेश पर ब्याज		निरंक
	वेतन			69143.00	3. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		634733.00
	(ख) उपादान (प्रावधान सहित)		निरंक	6321750.00	4. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		11044250.00
	4. यात्रा व्यय (सारणी 1ख)				5. विविध प्राप्तिया		
निरंक	i. विदेश यात्रा	निरंक		निरंक	(क) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	निरंक	
251352.00	ii. देशीय यात्रा	504605.00		18750.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	13350.00	
निरंक	iii. अवकाश यात्रा रियायत	24992.00	529597.00	5000.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	10250.00	
निरंक	5. मानदेय		11500.00	निरंक	(घ) प्रक्रिया शुल्क	204000.00	
निरंक	6. ओवर टाईम भत्ता		निरंक	निरंक	(ड़) प्रकाशन का विक्रय	14490.00	
4640.00	7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		17592.00	निरंक	(च) गृह किराया वसूली	9280.00	
निरंक	8. अधिलाभांश		8159.00	83.60	(छ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	7778.70	259148.70
निरंक	9. अन्य स्थापना व्यय		निरंक				
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय						
25000.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	92148.00					
148246.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	298731.00					
450218.00	(iii) किराया	851197.00					
922769.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2329028.00	3571104.00				
124422.00	ग. अक्षयण		194290.00				
7438708.60	घ. आय का व्यय पर आधिक्य		8108936.70				
11864726.60	योग		17938131.70	11864726.60	योग		17938131.70

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव सदस्य अध्यक्ष

स्थान: रायपुर
दिनांक : 28.07.06

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -1क

(देखिये नियम 5)

स्थापना व्यय 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	833166.00	2503160.00	1946587.00	5282913.00
(ii)	मजदूरी	निरंक	निरंक	108476.00	108476.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iv)	अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	833166.00	2503160.00	2055063.00	5391389.00

सारणी -1ख

(देखिये नियम 5)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	277134.00	220716.00	6755.00	504605.00
(ii)	विदेश यात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	निरंक	निरंक	24992.00	24992.00
	योग	277134.00	220716.00	31747.00	529597.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ग

(देखिये नियम 3)

तुलन पत्र 31 मार्च 2006 को

(1–4–2005 से 31–3–2006)

गत वर्ष (रू)	दायित्व	राशि (रू)	कुल राशि (रू)	गत वर्ष (रू)	आस्तियाँ	राशि (रू)	कुल राशि (रू)
	<u>पूंजी निधी</u> (सारणी –1)			2702683.00	स्थायी आस्तियाँ (सारणी–क)		3088543.00
	प्रारंभिक शेष	7438708.60		निरंक	निवेश (सारणी–ख)		निर ंक
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि			30350.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी–ग)		89701.00
7438708.60	आय का व्यय पर आधिक्य	8108936.70	15547645.30	4320.00	निक्षेप (सारणी–घ)		4320.00
निरंक	ऋणः		निरंक	निरंक	भविष्य निधि (सारणी–ड़)		निरंक
	<u>चालू दायित्व एवं प्रावधानः</u>			निरंक	विविध देनदार (सारणी–च)		26185.00
20200.90	प्रेषण (सारणी –2)		315.00	निरंक	अनुदान प्राप्य (सारणी–छ)		निरंक
निरंक	भविष्य निधि (सारणी –3)		217121.00		<u>अंतिम शेषः</u>		
				732.00	हस्तस्थ रोकड (सारणी–ज)	7592.00	
1581538.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी –4)		674509.00	6302362.50	बैंक में रोकड (सारणी–झ)	13223249.30	13230841.30
निरंक	उपादान हेतु प्रावधान (सारणी –5) (समस्त कर्मचारियों के लिए)		निरंक		लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी–ञ)		
9040447.50	योग		16439590.00	9040447.50	योग		16439590.30

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थान: रायपुर
दिनांक : 28.07.06

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -1

(देखिये नियम 3)
पूंजी निधी 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(i)	भूमि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii)	भवन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	734526.00	277336.00	1011862.00	57846.00	954016.00
(iv)	यंत्र एवं उपकरण	915252.00	302814.00	1218066.00	69237.00	1148829.00
(v)	मोटर गाड़ी	1052905.00	निरंक	1052905.00	67207.00	985698.00
(vi)	पुस्तक एवं प्रकाशन	निरंक	7701.00	7701.00	7701.00	निरंक
(vii)	उपहारध्दान सम्पत्तियां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(viii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निवल चालू आस्तियाँ	4736025.60	7723076.70	12459102.30	0.00	12459102.30
	योग	7438708.60	8310927.70	15749636.30	201991.00	15547645.30

सारणी -2

(देखिये नियम 3)
प्रेषण 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	राशि प्रेषित	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
(i)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना+ सामान्य भविष्य निधि)	17730.00	326007.00	343422.00	315.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	निरंक	793.00	793.00	निरंक
(iii)	आयकर	निरंक	653794.00	653794.00	निरंक
(iv)	विक्रय कर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	निरंक	139555.00	139555.00	निरंक
(vi)	गृह किराया वसूली	2320.00	6960.00	9280.00	निरंक
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	150.00	311.80	461.80	निरंक
	योग	20200.00	1127420.80	1147305.80	315.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -3

(देखिये नियम 3)
भविष्य निधि 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योगः		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष	207422.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	9699.00	217121.00
	योग		217121.00

सारणी -4

(देखिये नियम 3)
विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	43101.00	21358.00	0.00	3298.00	61161.00
2	बयाना राशि जमा	25000.00	15000.00	0.00	15000.00	25000.00
3	विविध लेनदार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i.	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	8705.00	93662.00	95926.00	0.00	6441.00
ii.	भाड़ा (कार) देय	13155.00	211504.00	195967.00	0.00	28692.00
iii.	कार्यालय भवन किराया (देय)	64210.00	659750.00	659750.00	0.00	64210.00
iv.	वेतन एवं भत्ते (देय)	382052.00	458511.00	382052.00	0.00	458511.00
v.	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	8797.00	105564.00	105564.00	0.00	8797.00
vi.	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय) *	21200.00	298231.00	309937.00	0.00	9494.00
vii.	मजदूरी (देय)	13368.00	108476.00	119536.00	0.00	2308.00
viii.	अनुज्ञप्ति शुल्क (अग्रिम प्राप्त)	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00
ix.	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00
x	सदस्य का मकान किराया (देय)	0.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00
xi	अखबार/पत्र व्यय (देय)	0.00	1895.00	0.00	0.00	1895.00
5	व्यय न हुई अनुदान राशि शासन को प्रतिदेय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	1581538.00	1981951.00	2870682.00	18298.00	674509.00

* दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय / पूर्वदत्त)

देय राशि	298731.00
(–) पूर्वदत्त	500.00
	298231.00

सारणी -5

(देखिये नियम 3)
उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	निरंक	
	योग:	निरंक	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	निरंक	निरंक
1			
2			
3			
	शुद्ध शेष		निरंक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -क

(देखिये नियम 3)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक			अक्षयण			निवल आस्तियाँ	
		प्रारम्भिक	जेड़िये/घटाईये	योग	गत वर्ष तक	वर्ष के दौरान वृद्वि	चालू वर्ष तक	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	भूमि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	भवन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	उपस्कर एवं जुड़नार	757310.00	277336.00	1034646.00	22784.00	57846.00	80630.00	73526.00	954016.00
4.	यंत्र एवं उपकरण	949683.00	302814.00	1252497.00	34431.00	69237.00	103668.00	915252.00	1148829.00
5.	मोटर गाड़ी	1120112.00	निरंक	1120112.00	67207.00	67207.00	134414.00	1052905.00	985698.00
6.	पुस्तक एवं प्रकाशन *								
7.	उपहारध्दान सम्पत्तियां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	सकल योग (1) से (8)	2827105.00	580150.00	3407255.00	124422.00	194290.00	318712.00	2702683.00	3088543.00
10.	पूंजी क्रियमाण कार्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	महा योग (9+10)	2827105.00	580150.00	3407255.00	124422.00	194290.00	318712.00	2702683.00	3088543.00
12.	गत वर्ष	निरंक	2827105.00	2827105.00	निरंक	124422.00	124422.00	निरंक	2702683.00

	* पुस्तक एवं प्रकाशन	24150.00	7701.00	31851.00	24150.00	7701.00	31851.00	निरंक	निरंक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ख

(देखिये नियम 3)

निवेश 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
1.	बैंक में स्थायी जमा		निरंक
i.	प्रारंभिक शेष		
ii.	किया गया निवेश		
iii.	निवेश का नगदीकरण		
iv.	अंतिम शेष		
	योग		निरंक
2.	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेश/अन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक
(क)	प्रारंभिक शेष		
(ख)	किया गया निवेश		
(ग)	निवेश का नगदीकरण		
(घ)	अंतिम शेष		
	योग	निरंक	निरंक
3.	बैंकों के नाम लिखें		
i.	राशि का विवरण:		
ii.	जमा की तारीख :		
iii.	जमा की समयावधि:		
iv.	देय तिथि :		
v.	ब्याज दर:		
vi.	ब्याज:		
	योग	निरंक	निरंक
	कुल योग (1+2+3)		निरंक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ग

(देखिये नियम 3)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
क.	आकस्मिक अग्रिम				
(क)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ख)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ग)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(घ)	अन्य अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	उप–योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ख.	कर्मचारियों को अग्रिम				
(क)	गृह निर्माण अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ख)	मोटर कार / कम्प्यूटर अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ग)	स्कूटर / मोटर साईकिल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(घ)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	25818.00	403939.00	353400.00	76357.00
	उप–योग	25818.00	403939.00	353400.00	76357.00
ग.	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
	(i) सदस्य निवास किराया (पूर्वदत्त)	4032.00	निरंक	4032.00	निरंक
	(ii) दूरभाष व्यय (पूर्वदत्त)	500.00	500.00	500.00	500.00
	(iii) विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	निरंक	12844.00	निरंक	12844.00
	योग	30350.00	417283.00	357932.00	89701.00

सारणी -घ

(देखिये नियम 5)

निक्षेप 31 मार्च 2006

(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वापसी	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1.	प्रतिभूति निक्षेप	4320.00			4320.00
2.	बयाना राशि निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	अन्य निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	4320.00	निरंक	निरंक	4320.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ड़.

(देखिये नियम 3)
भविष्य निधि 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
	प्रारंभिक शेष	निरंक	
	जोड़िये: चालु वर्ष मे किये गये निवेश	निरंक	
	घटाईये: निवेश का नगदीकरण	निरंक	निरंक
ख.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		निरंक

सारणी - च

(देखिये नियम 3)
विविध देनदार 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
क.	नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि	निरंक	26185.00	निरंक	26185.00
ख.					
ग.					
घ.					
ड़.					
	योग	निरंक	26185.00	निरंक	26185.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -छ

(देखिये नियम 3)
अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		
	प्रारंभिक शेष	निरंक	
	जोड़िय: चालू वर्ष में किये गये दावे	6000000.00	
		6000000.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	6000000.00	निरंक
	योग		निरंक

सारणी -ज

(देखिये नियम 3)
हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
1.	वेतन	निरंक
2.	यात्रा भत्ता	निरंक
3.	आकस्मिक	निरंक
4.	कार्यालय व्यय	7595.00
5.	अन्य	निरंक
	योग	7595.00

सारणी -झ

(देखिये नियम 3)
बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2006
(1-4-2005 से 31-3-2006)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
1.	वेतन	
2.	यात्रा भत्ता	
3.	आकस्मिक	13223249.30
4.	कार्यालय व्यय	
5.	अन्य	
	योग	13223249.30

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ञ

(देखिये नियम 3)
दिनाँक 31.3.2006 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी
(1.4.2005 से 31.3.2006)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ–वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किया जाये।

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (यदि कोई मद नगदी आधार पर लेखांकित की गई, स्थायी आस्तियों तथा स्कंध का मूल्यांकन आदि)

(ii) लेखाओं पर टिप्पणियों में संगठन के आधिक्य पर आयकर के लागू न होने के संबंध में, वैधानिक अधिनियमों के संबंध में छूट आकस्मिक दायित्वों का उपचारण आदि इंगित किये जा सकते हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ लेखाओं का भाग होंगी तथा उन्हें एक पृथक सारणी में, उस सारणी का संदर्भ लेखाओं में उल्लेख करते हुए लेखाओं के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. छ.ग.रा.वि.नि.आ. की स्थापना दिनाँक 1.7.2004 को हुई है अतः गत वर्ष के आंकड़े 9 माह की अवधि के (दि 01.07.2004 से दि 31.03.2005) यथा आवश्यकता गत वर्ष के आंकड़ों को पुर्नसमूहित/पुर्नव्यवस्थापित किया गया है।

2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा एतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।

3. स्थायी आस्तियों पर मूल्यहृास सीधी रेखा मूल्यहृास विधि से परिकलित किया गया है। मूल्यहृास, आस्ति की 90% लागत पर परिकलित किया गया है। (10% लागत आस्ति का निस्तारण मूल्य मानी गई है।) तथा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता आयु निम्नानुसार मान्य की गई है।

क्र.	आस्ति का नाम	लागत का प्रतिशत जो उपयोगी आयु में मूल्यहृास हेतु लिया गया है	अनुमानित उपयोगी/आयु	मूल्यहास की वार्षिक दर
1.	भवन	90%	60	90 ÷ 60 = 1.5%
2.	उपस्कर एवं जुड़नार	90%	15	90 ÷ 15 = 6%
3.	यंत्र एवं उपकरण	90%	15	90 ÷ 15 = 6%
4.	मोटर गाड़ी	90%	15	90 ÷ 15 = 6%

वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के पश्चात क्रय की गई स्थायी आस्तियों पर मूल्यहृास, उपरोक्त दरों की आधी दर से परिकलित किया गया है।

4. पुस्तकों एवं प्रकाशनों को क्रय के वर्ष में ही राजस्व व्यय के रुप लिया गया है।

5. आयोग की सम्पत्ति व आय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के प्रवधानों के अर्न्तगत, संघीय करारोपण से विमुक्त है।

6. आयोग के किसी भी कर्मचारी ने सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नही किए हैं अतः मृत्यु सह सेवानिवृत उपादान का लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उपादान भुगतान हेतु आकस्मिक दायित्व का वहन चालू राजस्व या छ.ग.वि.नि.आ. कोष (पूंजी निधी) में संग्रहित पूर्व आधिक्य में से किया जावेगा।

7. चूँकि राज्य शासन द्वारा सेवा के दौरान अर्जित अवकाश के समर्पण व नगदीकरण की सुविधा समाप्त की जा चुकी है अतः इसके लिए आयोग के लेखे में कोई प्रावधान नही किया गया है। यद्यपि वर्तमान वेतन के आधार पर सेवानिवृति या मृत्यु पर देय अर्जित अवकाश नगदीकरण की सांकेतिक अनुमान राशि ''अनुलग्नक 1'' के अनुसार क्रमशः रु.15308/– व रु 67589/– है। उक्त दोनों राशियों में से अधिक राशि को तुलन पत्र दिनांक पर अधिकतम आकस्मिक दायित्व माना जा सकता है जो आकस्मिक प्रकृति का होने की वजह से आयोग के लेखे में नही लिया गया है।

8. आयोग ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति पेंशन का कोई दायित्व नही होगा।

————00000————